अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 203/2024

वादीगण–

1. सीताराम पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लूणसरा तहसील जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
2. जगदीश प्रसाद पुत्र मदनलाल
3. हनुमान बक्स पुत्र मदनलाल
4. बसंती देवी पुत्री मदनलाल जातियान–ब्रहम्ण निवासीगण–लूणसरा, तहसील–जायल।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह।

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व अम्बालाल पारासर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– मौजा मौजा लुणसरा में खाता 980 के मुतदाविया भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का नाम हटाया जाकर एक मात्र वादी को खेत खसरा नंबर 1867/1125 रकबा 1.0279 में खातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबाली जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या सीताराम पुत्र मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा लूणसरा का खेत खसरा नंबर 1867/1125 रकबा 1.0279 हैक्टैयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।
3. बैंक के रहन खसरान् यदि बैंक के रहन हो तो वो यथावत बैंक के रहन रहेंगें। उक्त के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक ...21/12/24... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner